

सं. 44011/5/2013-प्रशा-1

भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय  
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

\*\*\*\*\*

तीसरा तल, लोक नायक भवन,  
खान मार्केट, नई दिल्ली - 110003  
दिनांक : 16 नवंबर, 2017


कार्यालय ज्ञापन

विषय : कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए शिकायत समिति।

\*\*\*\*

अधोहस्ताक्षरी से यह कहने का निर्देश दिया गया है कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए शिकायत समिति की एक संशोधित संरचना का गठन किया गया है: -

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. श्रीमती सुजाशा चौधुरी, निदेशक, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग            | : अध्यक्ष                  |
| 2. श्री चरणजीत तनेजा, अवर सचिव, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग              | : सदस्य                    |
| 3. श्रीमती सुनीता विकास रामटेके, निजी सचिव, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग  | : सदस्य                    |
| 4. श्रीमती किरण बत्रा, अनुभाग अधिकारी, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग       | : सदस्य                    |
| 5. श्रीमती लोरा प्रभु, निदेशक,<br>इक्विटी और समावेशन केंद्र, आईटीओ नई दिल्ली | : सदस्य (गैर सरकारी संगठन) |

  
(अशोक कुमार सिंह)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

1. सयुंक्त सचिव(पी) के निजी सचिव, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, खान मार्केट, लोक नायक भवन, नई दिल्ली
2. निदेशक (पीपी) / निदेशक (पी) / निदेशक (पीडब्ल्यू) / उप सचिव (पीडब्ल्यू) ।
3. सभी अवर सचिव, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
4. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी
5. श्रीमती लोरा प्रभु, निदेशक, इक्विटी और समावेशन केंद्र, 18 कोटला लेन राजस एवेन्यू, आईटीओ नई दिल्ली ।